



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डब्लू.बी.-अ.-10032026-270816
CG-WB-E-10032026-270816

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1186]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 10, 2026/फाल्गुन 19, 1947

No. 1186]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 10, 2026/PHALGUNA 19, 1947

रेल मंत्रालय
[पूर्व रेलवे (निर्माण विभाग)]
अधिसूचना
कोलकाता, 9 मार्च, 2026

का.आ. 1238(अ).—केंद्रीय सरकार, रेलवे(अमेण्डमेंट)अधिनियम, 2008 की धारा 2 के खण्ड(37क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, मालदा डिवीजन में "हंसडीहा बाईपास (4.39 किमी) लाइन" परियोजना के भूमि अधिग्रहण हेतु झारखंड के दुमका जिला में लोक प्रयोजन के लिए राष्ट्रीय अवसंरचना उपबंधित कराने हेतु विशेष रेल परियोजना के रूप में अधिसूचित करती है।

[फा.सं. मु. प्र. अ./नि./ भू./329]

मनोज खॉं, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण

MINISTRY OF RAILWAYS
[Eastern Railway (Construction Department)]

NOTIFICATION

Kolkata, the 9th March, 2026

S.O. 1238(E).—In exercise of the powers conferred by clause (37A) of Section 2 of the Railways (Amendment) Act, 2008 the Central Government hereby notifies “**Hansdiha Bypass (4.39 km) line**” in Malda Division as **Special Railway Project** for acquisition of land in Dumka district of Jharkhand, for providing national infrastructure for a public purpose with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F. No. CAO/Con/L/329]

MANOJ KHAN, Chief Administrative Officer/Con.